ज्ञापांक सं०- 2234

अनुसूची २१-प्रपत्र संख्या ११२।

Date - 27.11.24

सम्पत्ति अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं०......1766......२० 24 आवेदन सं०......1766......२० 24

चूंकि श्री......Aushi Om Drijennee Construction......ने इसके द्वारा आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित संव्यवहारों का और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही १ में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणिकाओं में ता......2018......से till date......तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है।

क्रम सं०	संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	Mouza No 02, Nawadih, Khata No 1056&1057 (Old), 228 (New), Old Plot No 1056, 1057, New Plot No 872, 87 Area 16.55 Decimal							
				Nil				

(२)

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर)- [signature]

(पदनाम) - clerk

तलासी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर)- [signature]

(पदनाम) - clerk

कार्यालय Dist Sub Registrar Dh
Dhanbad

तारीख 27/8/24

जिला अवर निबंधक
सत्यमेव जयते
धनबाद

[signature]
27.8.24
निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं व आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों की निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो; तो वैसी दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जैक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करना होगा। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियां और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलासी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलासी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

ख) और चूँकि वर्तमान मामले में ...